

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2375/2020

दिनांक : 19.12.2020

श्री अंकुर गुप्ता (RJ0858), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां) को दिनांक 11.01.2021 से 25.01.2021 तक 15 दिनों का पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) दिनांक 09.01.2021 से 10.01.2021 एवं 26.01.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबड़ा (बारां) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
19/12/2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/28/2015/ 5912

दिनांक : 19.12.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां को उनके पत्रांक 3281 दिनांक 09.12.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्री अंकुर गुप्ता (RJ0858), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबड़ा (बारां)।

19.12.2020
सहायक रजिस्ट्रार